संख्या-685जेएल/22-3-2024-ई-1855724

प्रेषक,

अनीस अख्तर अंसारी,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक/महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 17-12-2024

विषयः- 02 विचाराधीन बंदियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या-37341/सामा-1(5)/76/बंदी स्था0/2024, दिनांक 09-12-2024 में की गई संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल-2022 के प्रस्तर-118 सपठित प्रस्तर-385 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न तालिका में उल्लिखित सिद्धदोष/विचाराधीन बंदियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में उल्लिखित कारागार में प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः-

क्र0	बंदी का नाम/ पिता का नाम	वर्तमान निरूद्धि	कारागार का नाम जहां बंदी स्थानान्तरित किया जाता है
1	2	3	4
1-	विचाराधीन/सिद्धदोष बंदी अब्दुल कवि पुत्र श्री अब्दुल गनी (बंदी सं0-86/2024)	जिला कारागार, कौशाम्बी	केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ
2-	विचाराधीन बंदी मो0 मुजफ्फर पुत्र स्व0 मुख्तार (बंदी सं0-1341/2024)	जिला कारागार, प्रयागराज	केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अनीस अख्तर अंसारी

अनु सचिव

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।

3- अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।

4- जिला मजिस्ट्रेट, प्रयागराज/कौशाम्बी/फर्रूखाबाद।

5- पुलिस आयुक्त, प्रयागराज तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फर्रूखाबाद/कौशाम्बी।

6- वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ एवं जिला कारागार, कौशाम्बी/प्रयागराज को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त बंदियों के स्थानांतरित/दाखिल किये जाने की सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध करायें।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अनीस अख्तर अंसारी

अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in